

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प.1(1)साप्र/2/2013

जयपुर, दिनांक 17-7-2013

—: आदेश :—

डॉ. रविकुमार सुरपुर आई.ए.एस. निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण (आई.ई.सी) सेवाएं, राजस्थान, जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 16/2013 एवं सेवानिवृत्ति दिनांक 31.10.2037 हैं के आधार राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुये 'आउट ऑफ टर्न' के आधार पर इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10.7.2013 के द्वारा आवंटित किया गया राजकीय आवास संख्या 605, मॉडल टाउन मालवीय नगर के स्थान पर राजकीय आवास संख्या 105 मॉडल टाउन मालवीय नगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में) जयपुर का नियमानुसार किराया भुगतान पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है :—

शर्तः—

1. आवास का कब्जा आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदरथापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. यूकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाखी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी :—
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्ज लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदरथापित रहें हैं।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. डॉ. रविकुमार सुरपुर से 'कॉमन सुविधा' शुल्क राशि रुपये 300/- (अतः रुपये तीन सौ रुपये मात्र सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होंगे।
10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजीव जौन)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. सम्मानीय आयुक्त, जयपुर/बीकानेर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. शासन सचिव, विकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, सम्बद्ध विभाग, मिनी संविवालय, जयपुर।

5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. विशेषाधिकारी, कार्मिक (क-1) विभाग।
7. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल ये जना भवन, जयपुर-कूपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
8. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।
9. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
10. अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि०वि०/जन स्वा०अभि०वि०/जयपुर वि०वि०निगम लि०, गांधीनगर, /मालवीयनगर जयपुर।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा रिक्त उपलब्ध होने के उपरान्त निर्धारित अविधि में कछा लेने में असफल रहने की रिधति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 वो पालना को भी अमल में लावें।
12. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
13. डॉ. रविकुमार सुरपुर आई.ए.एस. निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण (आई.ई.सी) सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
14. शासन सहायक सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, जयपुर।
15. प्रबन्धक, सर्किट हाउस, जयपुर।
16. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
17. रक्षित पत्रावली।

(राजीव जैन)  
संयुक्त शासन सचिव

राज स्थान सरकार  
सामान्य प्ररसन (शुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 18(1)साप्र/2/13

जयपुर दिनांक : 17-7-13

— आदेश :-

श्री आशीष सरावग, कनिष्ठ फिल्म, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर को उनकी पंचम श्रेणी की विधियता संख्या 38/2013 व सेवा निवृति दिनांक 28.2.2045 के आधार पर नियम-27 के अन्तर्गत शिथिलता प्रदान करते हुए "आर ट ऑफ टर्न" के आधार पर नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास संख्या 5/116, गौथीनगर, जयपुर निम्न शर्तों पर एतद्वारा आवंटित किया जाता है :-

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्थगित होता है।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान रिवित सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वा । समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवंटन रिवित करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिवित करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदर गापन स्थान पर निजी आवास बन जाने / क्रय करने की रिक्ति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 1 (ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्ति की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अपले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहता। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल रिक्ति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस हीत्र में अनुज्ञा हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भेजवाने का न्रम करायें।
8. आवंटी वो आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिकारी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होती है।

  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पद थापित रहती है।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि न आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पाति व उन पर आक्रित किसी अन्य सदरम के नाम वै जयपुर में निजी आवास निर्मित/इय नहीं किया है।
  9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा मन्त्र-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मन्त्र होती हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मुन्ना लाल शर्मा) 17/7/13  
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलगड़, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग।
4. उपर सचिव (वै.पौ. मुख्यमंत्री जार्यालय वा उनकी आईडी. सं. एफ13003630 दिनांक 27.6.13 के क्रम में।)
5. मुख्यलेखाधिकारी/कोपाधिकारी, शासन अधिकालय, जयपुर।
6. प्रबन्ध निदेशक, राजकीम, ग्राम पतल, योना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करायें।
7. अधिकारी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गौथीनगर, जयपुर।
8. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गौथीनगर, जयपुर।
9. संबंधित कर्मचारी।
10. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साचिव।
11. रक्षित पत्रावली।

(मुन्ना लाल शर्मा) 17/7/13  
सहायक शासन सचिव

क्रमांक :- प. 17(1)साप्र/2/13

जयपुर, दिनांक : १७-७-१३

-: आदेश :-

श्री हितेन्द्र कुमार, कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्य कर विभाग, जयपुर जौन-तृतीय, जयपुर को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता संख्या ६९/२०१२ एवं सेवानिवृत्ति दिनांक ३०.११.२०३९ के आधार पर नियम-२७ के अन्तर्गत शिथिलता प्रदान करते हुए "आउट ऑफ टर्न" के आधार पर नियानुसार किराये पर राजकीय आवास संख्या ४/सी/०६, गौंधीनगर, जयपुर का निन्न शर्तों के आधार पर एलद्वारा आवंटन किया जाता है।

शर्तों :-


- आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से ८ दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश रखतः निरस्त समझा जायेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के विवाये का अवधारण और वसूली नियम, १९५८ के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- रखयं तथा पत्नी/वच्चों के नाम से पदरथापन स्थान पर निजी आवास बन जाने / कय करने की रिथिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, १९५८ के नियम ११(ग)ए के अनुसारण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से ८ दिवस में अथवा आवंटन स्थिकार करने के असफल रहने की जारीख से ६ माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। ६ माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल रिथिति में पुनः लाया जा सकेगा। इसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञय हो तो राक दिया जायेगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वित्तरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से ८ दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी।
  - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदरथापित रहे हैं।
  - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई रखयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।
- श्री हितेन्द्र कुमार, कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्य कर विभाग, जयपुर के वेतन से कोंमन सुविधा शुल्क के पेटे राशि रूपये १५०/- (अक्षरे एक सौ पचास रुपये मात्र) काटे जाकर राजकीय में जमा कराने होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(मुन्नालाल शर्मा)  
सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- जिला कलवटर, जयपुर।
- निदेशक सम्पदा विभाग, जयपुर।
- आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, जयपुर।
- कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर।
- प्रबन्ध निदेशक, राजकर्म, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
- अधिशासी अभियन्ता, साठी०वि०/जन स्वा० अभि० वि०/जयपुर वि०वि०निगन लि०, गौंधीनगर, जयपुर।
- सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गौंधीनगर, जयपुर।
- सम्बन्धित कर्मचारी।
- निजी सहायक, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
- रक्षित पत्राली।

  
(मुन्नालाल शर्मा) ७/७/१४  
सहायक शासन सचिव